

में जांच की गई। जिसके अनुसार

मुताबिक आवेदन पत्र, शपथ पत्र, सलहें वस्तावेज तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के मन्सा पु. गोकल के वजोप मन्नी राम पु. गोकल राम शुद्ध के उचित हैं।

न्यायालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

18/11/20

17/11/20

उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदनपत्र में उचित किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम पुरस्ता किने जाने की अगिरांपा की जाती है।
मोहन लाल
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, बुन्देलखण्ड (राज.)

Handwritten signature

तहसीलदार गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्देलखण्ड (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 18/11/20

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	किशोरपुरा	2075-78	175	मन्सा पु. गोकल कि. 114 जाति माली	मन्नी राम पु. गोकल राम कि. 114 जाति माली

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 18/11/20

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1165-66
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी